SEXUAL HARASSMENT PREVENTION POLICY

यौन उत्पीड़न की रोकथाम नीति

DVMS & Sabka Ghar Ashram
Dausa, Rajasthan, India
Effective Date: 01.12.2016
Approved By: Governing Body/Executive Committee, DVMS

1. उद्देश्य (Purpose)

DVMS एवं सबका घर आश्रम अपने सभी कर्मचारियों, स्वयंसेवकों, निवासियों, लाभार्थियों, आगंतुकों, सलाहकारों, प्रशिक्षुओं, ठेकेदारों तथा संगठन से जुड़े अन्य सभी व्यक्तियों के लिए एक **सुरक्षित, सम्मानजनक, समावेशी एवं गरिमापूर्ण वातावरण** सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस नीति का उद्देश्य **यौन उत्पीड़न की रोकथाम**, सभी व्यक्तियों के लिए **व्यावसायिक एवं सम्मानजनक आचरण के स्पष्ट मानदंड निर्धारित करना**, शिकायत दर्ज करने के लिए **सुरक्षित एवं सुलभ व्यवस्था प्रदान करना**, तथा प्राप्त शिकायतों का **निष्पक्ष, गोपनीय, संवेदनशील एवं प्रतिशोध (Retaliation) से मुक्त तरीके से निवारण** सुनिश्चित करना है।

संगठन **यौन उत्पीड़न एवं किसी भी प्रकार के यौन दुराचार के प्रति शून्य-सहिष्णुता (Zero Tolerance)** की नीति अपनाता है।

2. कार्यक्षेत्र (Scope)

यह नीति संगठन से जुड़े निम्नलिखित सभी व्यक्तियों पर लागू होगी:

- सभी कर्मचारी एवं स्टाफ सदस्य, चाहे वे **स्थायी, अस्थायी, संविदात्मक या अंशकालिक** आधार पर कार्यरत हों;
- संगठन के **प्रबंधन एवं शासी निकाय (Governing Body)** के सदस्य;
- स्वयंसेवक, इंटर्न एवं प्रशिक्षु;
- सलाहकार, सेवा प्रदाता एवं ठेकेदार;
- आगंतुक, दानदाता, साझेदार संस्थाएं एवं अन्य संगठनों के प्रतिनिधि;
- संगठन के निवासी एवं लाभार्थी, जहाँ लागू हो;
- संगठन की ओर से कार्य करने वाला या संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई भी अन्य व्यक्ति।

यह नीति संगठन से संबंधित निम्नलिखित स्थानों एवं परिस्थितियों में होने वाले आचरण पर लागू होगी:

- संगठन के कार्यालय एवं अन्य आधिकारिक परिसरों में;
- संगठन द्वारा संचालित **आवासीय, आश्रय या देखभाल केंद्रों** में;
- फील्ड विजिट एवं सामुदायिक गतिविधियों के दौरान;

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.) मान्यता प्राप्त रजि. नं.- 45/32-03 303303

- प्रशिक्षण, बैठक, कार्यशाला, सम्मेलन एवं अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों के दौरान;
- संगठन द्वारा आयोजित आधिकारिक यात्रा, दौरे या आवास की व्यवस्था के दौरान;
- संगठन के कार्य से संबंधित **फोन कॉल, ईमेल, WhatsApp, मैसेजिंग एप्लिकेशन, सोशल मीडिया या अन्य डिजिटल माध्यमों** के उपयोग के दौरान;
- संगठन के कार्य, गतिविधियों या जिम्मेदारियों से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित किसी भी अन्य स्थान, कार्यक्रम या परिस्थिति में।

इस नीति का उद्देश्य केवल संगठन के कार्यालय तक सीमित नहीं है, बल्कि संगठन से संबंधित सभी कार्यस्थलों, गतिविधियों एवं संचार माध्यमों में सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित करना है।

3. नीति वक्तव्य (Policy Statement)

संगठन किसी भी रूप में होने वाले **यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) एवं यौन दुराचार (Sexual Misconduct)** को सख्ती से प्रतिबंधित करता है। संगठन इस प्रकार के किसी भी व्यवहार के प्रति **शून्य-सहिष्णुता (Zero Tolerance)** का दृष्टिकोण अपनाता है।

संगठन से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे **सुरक्षित, सम्मानजनक एवं गरिमापूर्ण वातावरण** में कार्य करने और भाग लेने का अधिकार है, जो निम्नलिखित किसी भी प्रकार के व्यवहार से मुक्त हो:

- **यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment);**
- **यौन आधार पर धमकाना, डराना या दबाव डालना (Sexual Intimidation);**
- **यौन शोषण (Sexual Exploitation);**
- **यौन दुर्व्यवहार (Sexual Abuse);**
- **अनचाहे या अवांछित यौन प्रस्ताव/आग्रह (Unwelcome Sexual Advances);**
- **यौन प्रकृति की अनुचित टिप्पणियां, बातचीत या मजाक;**
- **यौन रूप से स्पष्ट या आपत्तिजनक संदेश, चित्र, वीडियो या अन्य सामग्री;**
- **बिना सहमति या इच्छा के शारीरिक संपर्क;**
- **यौन संबंध या यौन अनुग्रह के लिए किसी भी प्रकार का अनुरोध, मांग या दबाव;**
- **यौन उद्देश्य के लिए पद, अधिकार, प्रभाव या संगठनात्मक स्थिति का दुरुपयोग।**

संगठन यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि ऐसी किसी भी शिकायत या घटना को गंभीरता से लिया जाए तथा **लागू कानून, संगठन की नीतियों एवं निर्धारित शिकायत निवारण प्रक्रिया** के अनुसार उचित, निष्पक्ष एवं आवश्यक कार्रवाई की जाए।

इस नीति का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कर्मचारी, प्रबंधन सदस्य, स्वयंसेवक, सलाहकार, ठेकेदार या संगठन से जुड़ा कोई अन्य व्यक्ति हो, **उचित अनुशासनात्मक एवं/या कानूनी कार्रवाई** के अधीन हो सकता है।

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.) 303303
मान्यता प्राप्त
रजि. न.- 45/32-03

4. यौन उत्पीड़न की परिभाषा (Definition of Sexual Harassment)

इस नीति के उद्देश्य से **यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment)** का अर्थ किसी भी ऐसे **अवांछित कार्य, व्यवहार, संचार, टिप्पणी या आचरण** से है, जो यौन प्रकृति का हो और जिसके कारण किसी व्यक्ति को असहजता, अपमान, भय, धमकी, मानसिक परेशानी या असुरक्षा का अनुभव हो अथवा कार्यस्थल/संगठन का वातावरण **शत्रुतापूर्ण, डराने वाला या आपत्तिजनक** बन जाए।

यौन उत्पीड़न में निम्नलिखित व्यवहार शामिल हो सकते हैं, लेकिन यह केवल इन्हीं तक सीमित नहीं है:

4.1 मौखिक व्यवहार (Verbal Conduct)

- अवांछित यौन टिप्पणियां, बातें या अनुचित सुझाव देना;
- यौन प्रकृति के मजाक, कहानियां या बातचीत करना;
- किसी व्यक्ति के शरीर, रूप-रंग, पहनावे या निजी/यौन जीवन के बारे में अनुचित टिप्पणी करना;
- किसी व्यक्ति द्वारा मना किए जाने के बाद भी बार-बार डेट, व्यक्तिगत संबंध या यौन संबंध का प्रस्ताव देना;
- यौन प्रकृति की धमकी देना या यौन संकेत देने वाली टिप्पणियां करना;
- किसी व्यक्ति को यौन प्रकृति की बातचीत या चर्चा में उसकी इच्छा के विरुद्ध शामिल करना।

4.2 शारीरिक व्यवहार (Physical Conduct)

- बिना सहमति किसी को छूना, गले लगाना, चूमना या अन्य शारीरिक संपर्क करना;
- यौन उद्देश्य से किसी व्यक्ति का रास्ता रोकना या उसकी आवाजाही को प्रतिबंधित करना;
- यौन प्रकृति से संबंधित शारीरिक रूप से डराना, धमकाना या दबाव डालना;
- किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत स्थान या शारीरिक सीमाओं का जानबूझकर उल्लंघन करना;
- किसी भी प्रकार का अन्य अवांछित शारीरिक व्यवहार जो यौन प्रकृति का हो।

4.3 गैर-मौखिक या दृश्य व्यवहार (Non-Verbal or Visual Conduct)

- अश्लील या यौन रूप से स्पष्ट चित्र, वीडियो, सामग्री या अन्य सामग्री दिखाना या साझा करना;
- यौन संकेत देने वाले इशारे या हाव-भाव करना;
- किसी व्यक्ति को अनुचित या यौन उद्देश्य से घूरना;
- आपत्तिजनक, अश्लील या अनुचित फोटो/वीडियो भेजना;
- यौन प्रकृति के संकेत, चित्र या अन्य दृश्य सामग्री प्रदर्शित करना।

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.) मान्यता प्राप्त रजि. नं.- 45/32-03 303303

4.4 डिजिटल या ऑनलाइन यौन उत्पीड़न (Digital or Online Harassment)

यौन उत्पीड़न **डिजिटल या ऑनलाइन माध्यमों** से भी हो सकता है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- WhatsApp या अन्य मैसेजिंग एप्लिकेशन के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश भेजना;
- ईमेल के माध्यम से यौन प्रकृति की अनुचित सामग्री भेजना;
- सोशल मीडिया के माध्यम से अश्लील या आपत्तिजनक संदेश, फोटो या वीडियो साझा करना;
- वीडियो कॉल के दौरान अनुचित या यौन व्यवहार करना;
- ऑनलाइन मीटिंग के दौरान यौन प्रकृति की अनुचित टिप्पणी या व्यवहार करना;
- SMS/Text Messages के माध्यम से अवांछित यौन संदेश भेजना;
- किसी भी अन्य डिजिटल संचार माध्यम का उपयोग करके यौन उत्पीड़न करना।

नोट: यौन उत्पीड़न एक गंभीर अनुचित आचरण है। किसी व्यक्ति की **सहमति (Consent), व्यक्तिगत सीमाओं, गरिमा एवं सम्मान** का उल्लंघन करने वाला यौन प्रकृति का अवांछित व्यवहार इस नीति के अंतर्गत लिया जा सकता है।

5. लाभ या अवसर के बदले यौन मांग (Quid Pro Quo Harassment)

Quid Pro Quo Harassment का अर्थ ऐसी स्थिति से है जिसमें किसी व्यक्ति से यौन प्रकृति के व्यवहार, यौन संबंध या किसी प्रकार के **यौन अनुग्रह (Sexual Favour)** की अपेक्षा इस आधार पर की जाती है कि उसके बदले उसे रोजगार, पदोन्नति, वेतन, अन्य लाभ, प्रशिक्षण, कार्य आवंटन, आवास, संगठन में कार्य जारी रखने या किसी अन्य संगठनात्मक अवसर का लाभ दिया जाएगा।

इस प्रकार का व्यवहार **पद, अधिकार या संगठनात्मक जिम्मेदारी का गंभीर दुरुपयोग** माना जाता है।

इसके उदाहरणों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- यौन अनुग्रह या यौन संबंध के बदले **नौकरी, पदोन्नति, वेतन वृद्धि, प्रशिक्षण या अन्य रोजगार संबंधी लाभ** देने का प्रस्ताव करना;
- किसी व्यक्ति द्वारा यौन प्रस्ताव या अनुरोध अस्वीकार करने पर उसे **नौकरी से हटाने, पदावनति करने, कार्य में नुकसान पहुंचाने या अन्य प्रतिकूल रोजगार परिणामों** की धमकी देना;
- भर्ती, नियुक्ति, पदोन्नति या रोजगार जारी रखने को किसी व्यक्ति की **यौन सहमति या यौन संबंध** से जोड़ना;
- किसी कर्मचारी या संगठन से जुड़े व्यक्ति से यौन अनुग्रह की मांग करना और उसके बदले कार्य, जिम्मेदारी, सुविधा या अन्य लाभ देने का वादा करना;
- किसी व्यक्ति को यौन प्रस्ताव स्वीकार करने या अस्वीकार करने के आधार पर किसी संगठनात्मक अवसर से वंचित करना।

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.) मान्यता प्राप्त रजि. न.- 45/32-03 303303

ऐसा कोई भी आचरण संगठन में **सख्ती से प्रतिबंधित** है और इस नीति का उल्लंघन पाए जाने पर संगठन के नियमों तथा लागू कानून के अनुसार उचित **अनुशासनात्मक एवं/या कानूनी कार्रवाई** की जाएगी।

6. शत्रुतापूर्ण या आपत्तिजनक कार्य वातावरण (Hostile or Offensive Work Environment)

यौन उत्पीड़न ऐसी स्थिति में भी हो सकता है, जब किसी व्यक्ति के प्रति **बार-बार या गंभीर रूप से** ऐसा व्यवहार किया जाए जिससे कार्यस्थल या संगठन से संबंधित वातावरण **डराने वाला, अपमानजनक, शत्रुतापूर्ण, असुरक्षित या आपत्तिजनक** बन जाए।

ऐसे व्यवहार में मौखिक, शारीरिक, गैर-मौखिक या डिजिटल माध्यम से किया गया कोई भी अनुचित आचरण शामिल हो सकता है, जो किसी व्यक्ति की **गरिमा, सुरक्षा या मानसिक सहजता** को प्रभावित करता हो।

किसी शिकायत का मूल्यांकन करते समय संगठन निम्नलिखित पहलुओं पर विचार करेगा:

- घटना या व्यवहार की **प्रकृति (Nature)**;
- व्यवहार की **आवृत्ति एवं बार-बार होने की स्थिति (Frequency)**;
- घटना या व्यवहार की **गंभीरता (Seriousness)**;
- घटना की **परिस्थितियां एवं संदर्भ (Circumstances and Context)**;
- शिकायतकर्ता पर व्यवहार के संभावित प्रभाव;
- उपलब्ध जानकारी, साक्ष्य एवं गवाहों के बयान, जहाँ लागू हों।

संगठन प्रत्येक शिकायत को **निष्पक्ष, संवेदनशील एवं गोपनीय तरीके से** देखेगा और लागू कानून तथा संगठन की निर्धारित शिकायत निवारण प्रक्रिया के अनुसार उचित कार्रवाई करेगा।

7. रोकथाम एवं जागरूकता (Prevention and Awareness)

संगठन यौन उत्पीड़न की रोकथाम तथा सभी संबंधित व्यक्तियों में जागरूकता बढ़ाने के लिए आवश्यक एवं उचित कदम उठाएगा। इसके लिए संगठन निम्नलिखित उपाय करेगा:

- इस **यौन उत्पीड़न की रोकथाम नीति** के बारे में सभी कर्मचारियों, स्वयंसेवकों एवं संगठन से जुड़े अन्य संबंधित व्यक्तियों को जानकारी प्रदान करना;
- नए कर्मचारियों के **Orientation एवं Induction Programme** में इस नीति तथा संबंधित प्रावधानों को शामिल करना;
- समय-समय पर **जागरूकता सत्र, प्रशिक्षण एवं संवेदनशीलता कार्यक्रम (Sensitization Programmes)** आयोजित करना;
- कार्यस्थल पर **सम्मानजनक, सुरक्षित, समान एवं पेशेवर व्यवहार** को बढ़ावा देना;
- यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों एवं चिंताओं को दर्ज करने के लिए **उचित, सुरक्षित एवं सुलभ शिकायत/रिपोर्टिंग व्यवस्था** बनाए रखना;
- यह सुनिश्चित करना कि सभी कर्मचारियों एवं संबंधित व्यक्तियों को उनके **अधिकारों, जिम्मेदारियों एवं संगठन की नीति** की पर्याप्त जानकारी हो;

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.) मान्यता प्राप्त रजि. न.- 45/32-03 303303

- कर्मचारियों एवं संबंधित व्यक्तियों को यह जानकारी देना कि अनुचित व्यवहार या संभावित यौन उत्पीड़न की स्थिति में **कहां और किस प्रकार शिकायत या रिपोर्ट** की जा सकती है;
- संगठन में यौन उत्पीड़न से संबंधित संभावित जोखिमों की पहचान होने पर **समय पर निवारक एवं सुधारात्मक कार्रवाई** करना;
- प्रबंधन एवं पर्यवेक्षकों को सुरक्षित एवं सम्मानजनक कार्य वातावरण बनाए रखने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण प्रदान करना;
- नीति के प्रभावी क्रियान्वयन की समय-समय पर समीक्षा करना तथा आवश्यकता के अनुसार जागरूकता एवं रोकथाम के उपायों को मजबूत करना।

8. आंतरिक शिकायत समिति / शिकायत निवारण तंत्र (Internal Complaints Committee / Complaints Mechanism)

संगठन, जहाँ लागू हो, भारत में लागू कानूनों एवं नियमों के अनुसार **आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee – ICC / Internal Committee – IC)** का गठन करेगा। यह समिति विशेष रूप से **कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 (Sexual Harassment of Women at Workplace – Prevention, Prohibition and Redressal Act, 2013)** के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुरूप गठित एवं संचालित की जाएगी।

संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि:

- आंतरिक शिकायत समिति का गठन **लागू कानून के अनुसार** किया जाए;
- समिति में ऐसे सदस्य शामिल हों जिनमें **उचित ज्ञान, संवेदनशीलता, निष्पक्षता एवं स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता** हो;
- समिति के सदस्यों को उनकी भूमिका, जिम्मेदारियों एवं शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया के बारे में आवश्यक जानकारी एवं मार्गदर्शन दिया जाए;
- शिकायतकर्ता को शिकायत दर्ज करने के लिए **सुरक्षित, सुलभ एवं उचित माध्यम** उपलब्ध कराया जाए;
- प्रत्येक शिकायत को **निष्पक्ष, संवेदनशील, गोपनीय एवं समयबद्ध प्रक्रिया** के अनुसार संभाला जाए;
- शिकायत से संबंधित सभी आवश्यक कार्यवाही एवं निर्णयों का **उचित दस्तावेजीकरण एवं रिकॉर्ड** रखा जाए;
- शिकायतकर्ता एवं शिकायत प्रक्रिया में सहयोग करने वाले व्यक्तियों को किसी भी प्रकार के **प्रतिशोध, धमकी या दबाव** से सुरक्षा प्रदान की जाए;
- समिति द्वारा शिकायतों की जांच एवं निवारण **लागू कानून तथा संगठन की निर्धारित प्रक्रिया** के अनुसार किया जाए।

संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि शिकायत निवारण प्रक्रिया में **निष्पक्षता, गोपनीयता, पारदर्शिता, गरिमा एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों** का उचित रूप से पालन किया जाए।

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.) मान्यता प्राप्त रजि. नं.- 45/32-03 303303

9. शिकायत की रिपोर्टिंग / शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया (Reporting a Complaint)

कोई भी व्यक्ति जो स्वयं **यौन उत्पीड़न का अनुभव करता है** या ऐसी किसी घटना का **गवाह बनता है**, वह संगठन द्वारा निर्धारित शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से मामले की रिपोर्ट कर सकता है।

शिकायत निम्नलिखित माध्यमों से दर्ज की जा सकती है:

- **लिखित रूप में**;
- **ईमेल के माध्यम से**;
- संगठन द्वारा नामित **शिकायत अधिकारी / आंतरिक शिकायत समिति (ICC/IC) के सदस्य** के माध्यम से;
- संगठन द्वारा आधिकारिक रूप से अधिसूचित किसी अन्य **शिकायत/रिपोर्टिंग माध्यम** के माध्यम से।

यदि किसी व्यक्ति को लिखित शिकायत तैयार करने या दर्ज करने में सहायता की आवश्यकता होती है, तो संगठन द्वारा उसे **उचित एवं आवश्यक सहायता** प्रदान की जाएगी।

शिकायत में, जहां तक संभव हो, निम्नलिखित जानकारी शामिल होनी चाहिए:

- **शिकायतकर्ता का नाम एवं संपर्क विवरण**;
- **जिस व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत की जा रही है उसका नाम**;
- घटना की **तारीख, समय एवं स्थान**;
- घटना या कथित व्यवहार का **स्पष्ट एवं संक्षिप्त विवरण**;
- यदि कोई हो तो **गवाहों के नाम एवं उपलब्ध संपर्क विवरण**;
- उपलब्ध **दस्तावेज, संदेश, फोटो, वीडियो या अन्य संबंधित साक्ष्य**।

शिकायत दर्ज करने के संबंध में महत्वपूर्ण प्रावधान

संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि शिकायत दर्ज करने वाले व्यक्ति के साथ **सम्मान, संवेदनशीलता एवं गरिमा** के साथ व्यवहार किया जाए। शिकायत दर्ज करने के लिए किसी व्यक्ति को अनावश्यक बाधा, दबाव या भय का सामना न करना पड़े।

जहाँ लागू कानून के अनुसार शिकायत के लिए कोई **निर्धारित समय-सीमा या प्रक्रिया** निर्धारित है, वहाँ संगठन उसका पालन करेगा। साथ ही, किसी व्यक्ति को आपातकालीन स्थिति में अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए **पुलिस या अन्य सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करने के अधिकार** से वंचित नहीं किया जाएगा।

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.) मान्यता प्राप्त रजि. न.- 45/32-03 303303

10. गोपनीयता (Confidentiality)

संगठन में प्राप्त सभी शिकायतों तथा उनसे संबंधित **जांच, कार्यवाही, निष्कर्ष एवं निर्णय** को लागू कानून के अनुरूप उचित स्तर की **गोपनीयता** के साथ रखा जाएगा।

शिकायत से संबंधित जानकारी केवल उन्हीं अधिकृत व्यक्तियों के साथ साझा की जाएगी जिन्हें शिकायत को **प्राप्त करने, समझने, जांच करने, उसका निवारण करने या आवश्यक निर्णय लेने** के उद्देश्य से उस जानकारी की आवश्यकता हो। ऐसी जानकारी का उपयोग केवल संबंधित शिकायत के निवारण के लिए किया जाएगा तथा लागू कानून और संगठन की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

संगठन शिकायत प्रक्रिया में शामिल सभी व्यक्तियों की **गोपनीयता, गरिमा एवं सम्मान** की रक्षा के लिए उचित प्रयास करेगा, जिनमें शामिल हैं:

- **शिकायतकर्ता (Complainant);**
- **आरोपित व्यक्ति / प्रतिवादी (Respondent);**
- **गवाह (Witnesses);**
- **आंतरिक शिकायत समिति / समिति के सदस्य (Committee Members);**
- **जांच एवं शिकायत निवारण प्रक्रिया से जुड़े अन्य व्यक्ति।**

शिकायत से संबंधित दस्तावेज, बयान, साक्ष्य एवं रिकॉर्ड को **सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा** और केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही उनकी पहुंच होगी।

किसी भी शिकायत या कार्यवाही से संबंधित जानकारी को अनधिकृत रूप से साझा करना, सार्वजनिक करना या सोशल मीडिया अथवा अन्य माध्यमों पर प्रसारित करना संगठन की नीति का उल्लंघन माना जा सकता है और लागू कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

11. प्रतिशोध से सुरक्षा (Protection Against Retaliation)

संगठन ऐसे किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध **प्रतिशोध (Retaliation), धमकी, दबाव या किसी भी प्रकार की प्रतिकूल कार्रवाई** को सख्ती से प्रतिबंधित करता है, जो सद्भावना (Good Faith) में शिकायत करता है, किसी घटना की रिपोर्ट करता है या शिकायत निवारण प्रक्रिया में सहयोग करता है।

निम्नलिखित व्यक्तियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार का प्रतिशोध नहीं किया जाएगा:

- जो व्यक्ति **सद्भावना में शिकायत दर्ज करता है**;
- जो व्यक्ति संभावित या संदिग्ध **यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट करता है**;
- जो व्यक्ति शिकायत की **जांच प्रक्रिया में भाग लेता या सहयोग करता है**;
- जो व्यक्ति संबंधित **जानकारी या साक्ष्य उपलब्ध कराता है**;
- जो व्यक्ति शिकायतकर्ता को **सहायता या समर्थन प्रदान करता है**;
- जो व्यक्ति **आंतरिक शिकायत समिति / शिकायत निवारण समिति** को अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में सहायता करता है।

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

प्रतिशोध के उदाहरण

प्रतिशोध में निम्नलिखित व्यवहार शामिल हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

- धमकी देना या डराना;
- दबाव डालना या मानसिक रूप से परेशान करना;
- भेदभावपूर्ण व्यवहार करना;
- नौकरी या सेवा समाप्त करने की धमकी देना या अनुचित रूप से सेवा समाप्त करना;
- पद, वेतन, कार्य, जिम्मेदारी या अन्य रोजगार संबंधी अवसरों में अनुचित प्रतिकूल बदलाव करना;
- किसी व्यक्ति को जानबूझकर कार्यस्थल या संगठन की गतिविधियों से अलग करना;
- शिकायतकर्ता, गवाह या सहयोगी व्यक्ति को परेशान या प्रताड़ित करना;
- शिकायत करने या जांच में सहयोग करने के कारण किसी व्यक्ति के साथ अन्य अनुचित या दंडात्मक व्यवहार करना।

संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि शिकायत दर्ज करने या शिकायत प्रक्रिया में सहयोग करने के कारण किसी व्यक्ति को **नौकरी, पद, वेतन, कार्य अवसर या संगठन के साथ उसके संबंध** में अनुचित नुकसान न हो।

प्रतिशोध से संबंधित किसी भी आरोप या शिकायत को **मूल शिकायत से अलग एवं गंभीरता से** लिया जाएगा और उसकी आवश्यकतानुसार जांच की जाएगी।

यदि प्रतिशोध का आरोप जांच के बाद प्रमाणित होता है, तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध संगठन के नियमों तथा लागू कानून के अनुसार **उचित अनुशासनात्मक एवं/या कानूनी कार्रवाई** की जा सकती है।

12. निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जांच (Fair and Impartial Investigation)

संगठन को प्राप्त प्रत्येक शिकायत को **निष्पक्ष, स्वतंत्र, संवेदनशील, गोपनीय एवं उचित रूप से दस्तावेजीकृत प्रक्रिया** के माध्यम से संभाला जाएगा। शिकायत की जांच करते समय किसी भी व्यक्ति के साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा।

संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि:

- प्रत्येक शिकायत की जांच **निष्पक्ष एवं स्वतंत्र तरीके से** की जाए;
- शिकायत की जांच लागू कानून, संगठन की नीति एवं निर्धारित शिकायत निवारण प्रक्रिया के अनुसार की जाए;
- **आरोपित व्यक्ति (Respondent)** को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की उचित जानकारी दी जाए और उसे अपना पक्ष रखने तथा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का **उचित अवसर** दिया जाए;
- शिकायतकर्ता एवं आरोपित व्यक्ति, दोनों के साथ **सम्मान, गरिमा एवं निष्पक्षता** से व्यवहार किया जाए;
- जांच पूरी होने से पहले शिकायतकर्ता या आरोपित व्यक्ति के संबंध में कोई **पूर्वधारणा या निष्कर्ष** न बनाया जाए;

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.) मान्यता प्राप्त रजि. न.- 45/32-03 303303

- शिकायत से संबंधित बयान, दस्तावेज, साक्ष्य एवं अन्य प्रासंगिक जानकारी को उचित रूप से दर्ज एवं सुरक्षित रखा जाए;
- जांच में शामिल सभी व्यक्तियों की **गोपनीयता एवं निजता** की यथासंभव रक्षा की जाए;
- यदि जांच समिति के किसी सदस्य का किसी पक्ष के साथ व्यक्तिगत, पेशेवर या अन्य प्रकार का हितों का टकराव (Conflict of Interest) हो, तो उसे संबंधित मामले की जांच या निर्णय प्रक्रिया से अलग किया जाए;
- शिकायत एवं जांच प्रक्रिया को **यथासंभव शीघ्रता से** पूरा किया जाए, ताकि शिकायतकर्ता एवं संबंधित अन्य व्यक्तियों को अनावश्यक देरी या परेशानी का सामना न करना पड़े।

संगठन शिकायत की गंभीरता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक अंतरिम उपाय भी कर सकता है, जहाँ ऐसे उपाय शिकायतकर्ता, आरोपित व्यक्ति या अन्य संबंधित व्यक्तियों की **सुरक्षा, गरिमा एवं शिकायत प्रक्रिया की निष्पक्षता** बनाए रखने के लिए आवश्यक हों।

जांच के दौरान **प्राकृतिक न्याय (Principles of Natural Justice)** के सिद्धांतों का पालन किया जाएगा और निर्णय उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों एवं लागू कानून के आधार पर लिया जाएगा।

13. साक्ष्य एवं दस्तावेजीकरण (Evidence and Documentation)

शिकायत या जांच से संबंधित किसी भी प्रासंगिक जानकारी, दस्तावेज या अन्य सामग्री को आवश्यकतानुसार **साक्ष्य (Evidence)** के रूप में माना जा सकता है। इसमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

- **लिखित बयान (Written Statements);**
- **ईमेल (Emails);**
- **WhatsApp, SMS या अन्य संदेश (Messages);**
- **फोटोग्राफ/चित्र (Photographs);**
- **ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग**, बशर्ते वे लागू कानून के अनुसार वैध तरीके से प्राप्त की गई हों;
- **उपस्थिति, ड्यूटी या कार्य संबंधी रिकॉर्ड (Attendance or Work Records);**
- **गवाहों के बयान (Witness Statements);**
- शिकायत या जांच से संबंधित **अन्य प्रासंगिक दस्तावेज, रिकॉर्ड या सामग्री**।

दस्तावेजों एवं साक्ष्यों का संरक्षण

संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि शिकायतों से संबंधित सभी दस्तावेज, बयान, साक्ष्य एवं जांच रिकॉर्ड को **सुरक्षित एवं गोपनीय तरीके से** रखा जाए।

- सभी रिकॉर्ड को अनधिकृत पहुंच, उपयोग, परिवर्तन, चोरी या नष्ट होने से बचाने के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी;
- भौतिक दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा तथा डिजिटल रिकॉर्ड को उचित सुरक्षा उपायों के साथ संरक्षित किया जाएगा;
- शिकायत एवं जांच से संबंधित रिकॉर्ड तक पहुंच केवल **अधिकृत व्यक्तियों** तक सीमित रहेगी;

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.) 303303 मान्यता प्राप्त रजि. नं.- 45/32-03

- किसी भी साक्ष्य या दस्तावेज को जानबूझकर छिपाना, बदलना, नष्ट करना या अनधिकृत रूप से साझा करना गंभीर अनुशासनात्मक मामला माना जा सकता है;
- दस्तावेज एवं रिकॉर्ड को लागू कानून तथा संगठन की रिकॉर्ड-रखरखाव प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित अवधि तक सुरक्षित रखा जाएगा।

संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि शिकायतों की जांच के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों एवं दस्तावेजों को **निष्पक्षता, गोपनीयता और उचित प्रक्रिया** के सिद्धांतों के अनुसार संभाला जाए।

14. झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतें (False or Malicious Complaints)

संगठन यह स्पष्ट करता है कि केवल किसी शिकायत के **प्रमाणित (Substantiated) न होने** के आधार पर उसे स्वतः**झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत** नहीं माना जाएगा। शिकायतकर्ता द्वारा सद्भावना (Good Faith) में की गई शिकायत को उचित सम्मान एवं संवेदनशीलता के साथ लिया जाएगा।

यदि जांच के दौरान पर्याप्त एवं विश्वसनीय साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि किसी व्यक्ति ने:

- जानबूझकर **झूठे आरोप लगाए हैं**;
- शिकायत को जानबूझकर **मनगढ़ंत या गलत तथ्यों पर आधारित** बनाया है;
- किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने या परेशान करने के उद्देश्य से **दुर्भावनापूर्ण शिकायत** की है; या
- शिकायत प्रक्रिया का जानबूझकर दुरुपयोग किया है,

तो संगठन लागू कानून एवं संगठन की नीतियों के अनुसार उचित कार्रवाई पर विचार कर सकता है।

हालांकि, किसी शिकायत में तथ्य या साक्ष्य पर्याप्त रूप से प्रमाणित न हो पाना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि शिकायत **झूठी या दुर्भावनापूर्ण** थी।

इस प्रावधान का उद्देश्य किसी वास्तविक शिकायतकर्ता को शिकायत करने से **डराना, हतोत्साहित करना या रोकना नहीं है**। संगठन सद्भावना में की गई सभी शिकायतों को निष्पक्ष रूप से प्राप्त करेगा और उनकी उचित प्रक्रिया के अनुसार जांच करेगा।

15. अनुशासनात्मक कार्रवाई (Disciplinary Action)

यदि शिकायत की जांच के बाद आरोप **प्रमाणित (Substantiated)** पाए जाते हैं, तो संगठन मामले की गंभीरता, परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्यों, संगठन के नियमों तथा **लागू कानूनों** के अनुसार उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा।

मामले की प्रकृति एवं गंभीरता के आधार पर निम्नलिखित में से एक या अधिक कार्रवाई की जा सकती है:

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.) मान्यता प्राप्त रजि. नं.- 45/32-03 303303

- **लिखित चेतावनी (Written Warning);**
- **परामर्श (Counselling) या अनिवार्य प्रशिक्षण (Mandatory Training);**
- **औपचारिक फटकार (Formal Reprimand);**
- कर्मचारी के कार्य या जिम्मेदारियों पर **उचित प्रतिबंध या परिवर्तन (Restriction/Change of Duties);**
- **निलंबन (Suspension);**
- **रोजगार या संगठन के साथ कार्य/सेवा समाप्त करना (Termination of Employment or Engagement);**
- संगठन में दी गई **जिम्मेदारियों या पद से हटाना (Removal from Organizational Responsibilities);**
- **संविदा/अनुबंध समाप्त करना (Termination of Contract);**
- आवश्यकता होने पर या लागू कानून के अनुसार मामले की जानकारी **संबंधित सरकारी, कानूनी या अन्य सक्षम प्राधिकारी को देना।**

अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में प्रावधान

अनुशासनात्मक कार्रवाई का निर्णय लेते समय संगठन निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा:

- आरोप की प्रकृति एवं गंभीरता;
- उपलब्ध साक्ष्य एवं जांच के निष्कर्ष;
- घटना की परिस्थितियां;
- संबंधित व्यक्ति का संगठन में पद एवं जिम्मेदारी;
- यदि कोई पूर्व अनुशासनात्मक मामला हो, तो उसकी प्रासंगिकता;
- लागू कानून एवं संगठन की संबंधित नीतियां।

सभी अनुशासनात्मक कार्रवाई **निष्पक्ष, उचित, आनुपातिक (Proportionate) एवं दस्तावेजीकृत प्रक्रिया** के अनुसार की जाएगी।

यदि किसी मामले में आपराधिक कृत्य की संभावना हो या कानून के अनुसार रिपोर्ट करना आवश्यक हो, तो संगठन संबंधित **कानून प्रवर्तन एजेंसी या सक्षम प्राधिकारी** को सूचना देने में आवश्यक कदम उठाएगा।

नोट: किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई से पहले संबंधित व्यक्ति को लागू कानून एवं संगठन की प्रक्रिया के अनुसार अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिया जाएगा।

16. प्रभावित व्यक्तियों एवं शिकायतकर्ताओं का संरक्षण (Protection of Survivors and Complainants)

संगठन यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि यौन उत्पीड़न की घटना की रिपोर्ट करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ **सम्मान, गरिमा, संवेदनशीलता एवं निष्पक्षता** के साथ व्यवहार किया जाए। शिकायतकर्ता को शिकायत दर्ज करने या जांच प्रक्रिया में भाग लेने के कारण किसी भी प्रकार के भेदभाव, दबाव, धमकी या प्रतिशोध का सामना न करना पड़े, इसका यथासंभव ध्यान रखा जाएगा।

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

जहाँ आवश्यक हो तथा लागू कानून के अंतर्गत अनुमत हो, संगठन प्रभावित व्यक्ति/शिकायतकर्ता को निम्नलिखित सहायता उपलब्ध कराने या उपयुक्त सेवाओं से जोड़ने का प्रयास कर सकता है:

- **परामर्श एवं मनोसामाजिक सहायता (Counselling and Psychosocial Support);**
- आवश्यकता के अनुसार **चिकित्सकीय सहायता (Medical Assistance);**
- शिकायतकर्ता की सुरक्षा के लिए **उचित सुरक्षा एवं संरक्षणात्मक उपाय (Safety and Protective Measures);**
- आवश्यकतानुसार **उपयुक्त बाहरी सहायता सेवाओं/संस्थाओं को रेफरल (Referral to Appropriate External Services);**
- उपलब्धता एवं लागू कानून के अनुसार **कानूनी सहायता या अन्य सहायता तंत्र (Legal or Other Support Mechanisms);**
- आवश्यकता होने पर कार्यस्थल या कार्य संबंधी व्यवस्था में उचित **अंतरिम सहायता या समायोजन**, ताकि शिकायतकर्ता की सुरक्षा एवं गरिमा सुनिश्चित की जा सके।

संगठन प्रभावित व्यक्ति की **गोपनीयता एवं व्यक्तिगत निर्णय लेने के अधिकार** का सम्मान करेगा और सहायता प्रदान करते समय उसकी परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखेगा।

जहाँ किसी मामले में **तत्काल सुरक्षा का जोखिम** हो, संगठन उपलब्ध संसाधनों एवं लागू कानून के अनुसार आवश्यक सुरक्षा एवं सहायता उपाय करने का प्रयास करेगा।

17. बच्चों एवं संवेदनशील व्यक्तियों के लिए विशेष संरक्षण (Special Protection for Children and Vulnerable Persons)

यदि कोई शिकायत, आरोप या घटना किसी **बच्चे या संवेदनशील/असुरक्षित व्यक्ति (Vulnerable Person)** से संबंधित है, तो इस नीति के साथ-साथ संगठन की **बाल संरक्षण एवं सुरक्षा नीति (Child Protection and Safeguarding Policy)** भी लागू होगी।

संगठन ऐसे मामलों में बच्चे या संवेदनशील व्यक्ति की **सुरक्षा, गरिमा, गोपनीयता एवं सर्वोत्तम हित (Best Interest)** को सर्वोच्च प्राथमिकता देगा।

संगठन निम्नलिखित उपाय सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा:

- बच्चे या संवेदनशील व्यक्ति को किसी भी संभावित **हानि, शोषण, दुर्व्यवहार या उत्पीड़न** से तत्काल सुरक्षा प्रदान करना;
- शिकायत या आरोप की जानकारी प्राप्त होते ही आवश्यक **सुरक्षात्मक एवं निवारक कदम** उठाना;
- मामले को संगठन की **Child Protection and Safeguarding Policy** के अनुसार संभालना;
- लागू कानूनों एवं नियमों के अनुसार आवश्यक होने पर **संबंधित सरकारी/कानूनी प्राधिकारी को रिपोर्ट करना**;
- बच्चे या संवेदनशील व्यक्ति की पहचान एवं व्यक्तिगत जानकारी को यथासंभव **गोपनीय रखना**;

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

- जांच या शिकायत प्रक्रिया के दौरान बच्चे को अनावश्यक मानसिक तनाव, दबाव या दोबारा आघात (Re-traumatization) से बचाने के लिए संवेदनशील प्रक्रिया अपनाना;
- आवश्यकता होने पर उपयुक्त **चिकित्सकीय, मनोसामाजिक, परामर्श एवं संरक्षण सेवाओं** से जोड़ना।

संगठन का कोई भी कर्मचारी, स्वयंसेवक, पदाधिकारी, सलाहकार, ठेकेदार या संगठन से जुड़ा अन्य व्यक्ति अपने **पद, अधिकार, प्रभाव, जिम्मेदारी, संगठन तक पहुंच या विश्वास की स्थिति** का उपयोग किसी बच्चे या संवेदनशील व्यक्ति के **शोषण, दुर्व्यवहार, यौन उत्पीड़न या किसी अन्य प्रकार के नुकसान** के लिए नहीं कर सकता।

बच्चों एवं संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा संगठन की **सर्वोच्च प्राथमिकताओं** में से एक होगी तथा ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा।

18. कर्मचारियों एवं संगठन से जुड़े व्यक्तियों की जिम्मेदारियां (Responsibilities of Employees and Associated Persons)

इस नीति के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक कर्मचारी एवं संगठन से जुड़े अन्य व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह कार्यस्थल एवं संगठन की सभी गतिविधियों में **सम्मानजनक, सुरक्षित, पेशेवर एवं गरिमापूर्ण व्यवहार** बनाए रखे।

प्रत्येक व्यक्ति की निम्नलिखित जिम्मेदारियां होंगी:

- **पेशेवर एवं सम्मानजनक व्यवहार बनाए रखना;**
- किसी भी प्रकार के **अनुचित यौन व्यवहार या आचरण** से बचना;
- प्रत्येक व्यक्ति की **निजी सीमाओं (Personal Boundaries), गरिमा एवं सहमति (Consent)** का सम्मान करना;
- यौन उत्पीड़न की किसी घटना का अनुभव होने या उसके संबंध में जानकारी मिलने पर उसे **उचित एवं निर्धारित शिकायत/रिपोर्टिंग माध्यम** के द्वारा रिपोर्ट करना;
- शिकायत की जांच के दौरान **ईमानदारी एवं निष्पक्षता के साथ सहयोग** करना तथा उपलब्ध सही जानकारी एवं साक्ष्य प्रदान करना;
- शिकायत एवं जांच से संबंधित जानकारी की **गोपनीयता बनाए रखना**;
- शिकायतकर्ता, गवाह या शिकायत प्रक्रिया में सहयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध **प्रतिशोध, धमकी, दबाव या डराने-धमकाने** का व्यवहार न करना;
- संगठन की इस नीति तथा यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित अन्य लागू नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन करना।

प्रबंधकों एवं पर्यवेक्षकों की अतिरिक्त जिम्मेदारियां

प्रबंधकों, पर्यवेक्षकों एवं जिम्मेदार पदाधिकारियों की अतिरिक्त जिम्मेदारी होगी कि वे:

- अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए **सुरक्षित, सम्मानजनक एवं भेदभाव-मुक्त कार्य वातावरण** सुनिश्चित करें;
- यौन उत्पीड़न या अनुचित व्यवहार से संबंधित किसी शिकायत, सूचना या चिंता को **गंभीरता एवं संवेदनशीलता से लें**;

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

- शिकायतकर्ता को शिकायत दर्ज करने के लिए उचित सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करें;
- शिकायत को स्वयं दबाने, नजरअंदाज करने या अनधिकृत रूप से निपटाने का प्रयास न करें;
- प्राप्त शिकायत या गंभीर चिंता को **निर्धारित शिकायत निवारण तंत्र/आंतरिक शिकायत समिति** तक उचित रूप से पहुंचाएं;
- शिकायतकर्ता या गवाह के विरुद्ध किसी भी प्रकार के **प्रतिशोध या दबाव** को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएं;
- शिकायत से संबंधित जानकारी को **गोपनीय** रखें और केवल अधिकृत व्यक्तियों के साथ साझा करें।

संगठन का प्रत्येक सदस्य यह समझेगा कि **सुरक्षित एवं सम्मानजनक कार्य वातावरण बनाए रखना केवल प्रबंधन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि संगठन से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति की सामूहिक जिम्मेदारी है।**

19. प्रबंधन की जिम्मेदारियां (Responsibilities of Management)

DVMS एवं सबका घर आश्रम का प्रबंधन इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन, निगरानी एवं अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा। प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि संगठन से जुड़े सभी व्यक्तियों के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक एवं गरिमापूर्ण वातावरण बना रहे।

प्रबंधन की मुख्य जिम्मेदारियां निम्नलिखित होंगी:

- इस **यौन उत्पीड़न की रोकथाम नीति** का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन एवं अनुपालन सुनिश्चित करना;
- यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के लिए **उचित, सुरक्षित, सुलभ एवं गोपनीय शिकायत निवारण तंत्र** स्थापित करना;
- सभी कर्मचारियों एवं संगठन से जुड़े संबंधित व्यक्तियों को नीति के बारे में **जागरूकता, Orientation एवं आवश्यक प्रशिक्षण** प्रदान करना;
- **आंतरिक शिकायत समिति (Internal Committee/IC)** या संबंधित शिकायत समिति के गठन एवं प्रभावी कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक सहयोग एवं संसाधन उपलब्ध कराना;
- यह सुनिश्चित करना कि प्राप्त शिकायतों को **निष्पक्ष, संवेदनशील, गोपनीय एवं निर्धारित प्रक्रिया** के अनुसार उचित रूप से संभाला जाए;
- शिकायतों, जांच एवं संबंधित कार्यवाहियों के **आवश्यक रिकॉर्ड एवं दस्तावेज** सुरक्षित एवं गोपनीय तरीके से बनाए रखना;
- शिकायतकर्ता, गवाह एवं शिकायत प्रक्रिया में सहयोग करने वाले व्यक्तियों को **प्रतिशोध, धमकी, दबाव या उत्पीड़न** से सुरक्षा प्रदान करना;
- जांच के निष्कर्षों के आधार पर आवश्यक **सुधारात्मक एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई** करना;
- गंभीर मामलों में, जहाँ लागू कानून के अनुसार आवश्यक हो, **संबंधित सक्षम प्राधिकारी/कानूनी एजेंसी को रिपोर्ट करने** के लिए आवश्यक कदम उठाना;
- संगठन में सुरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण बनाए रखने के लिए **निवारक एवं जागरूकता गतिविधियों** को बढ़ावा देना;

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

- इस नीति की **समय-समय पर समीक्षा** करना तथा कानून, संगठनात्मक आवश्यकताओं या कार्यप्रणाली में परिवर्तन होने पर आवश्यक संशोधन करना;
- यह सुनिश्चित करना कि नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक **मानव संसाधन, प्रशिक्षण एवं अन्य संस्थागत संसाधन** उपलब्ध हों।

प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि यौन उत्पीड़न से संबंधित किसी भी शिकायत को **नजरअंदाज, दबाया या अनौपचारिक रूप से समाप्त** न किया जाए तथा प्रत्येक शिकायत को संगठन की नीति एवं लागू कानून के अनुसार उचित प्रक्रिया के माध्यम से संभाला जाए।

20. भेदभाव निषेध (Non-Discrimination)

संगठन सभी कर्मचारियों, स्वयंसेवकों, लाभार्थियों, निवासियों, आगंतुकों तथा संगठन से जुड़े अन्य सभी व्यक्तियों के साथ **निष्पक्षता, समानता, सम्मान एवं गरिमा** के साथ व्यवहार करने के लिए प्रतिबद्ध है।

किसी भी व्यक्ति के साथ निम्नलिखित कारणों से **भेदभाव, प्रतिकूल व्यवहार या अनुचित कार्रवाई** नहीं की जाएगी:

- सद्भावना (Good Faith) में यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने के कारण;
- किसी संभावित यौन उत्पीड़न की घटना की रिपोर्ट करने के कारण;
- शिकायत की जांच या निवारण प्रक्रिया में भाग लेने या सहयोग करने के कारण;
- गवाह के रूप में जानकारी या साक्ष्य प्रदान करने के कारण;
- शिकायतकर्ता को उचित सहायता या समर्थन प्रदान करने के कारण।

किसी व्यक्ति को शिकायत करने या शिकायत प्रक्रिया में सहयोग करने के कारण **नौकरी, वेतन, पद, कार्य जिम्मेदारी, प्रशिक्षण, संगठनात्मक अवसर या संगठन के साथ उसके संबंध** में अनुचित नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।

संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि सभी शिकायतों को **निष्पक्ष, संवेदनशील एवं बिना किसी भेदभाव या पक्षपात** के निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संभाला जाए।

यदि किसी व्यक्ति के साथ शिकायत करने या शिकायत प्रक्रिया में भाग लेने के कारण भेदभाव या प्रतिकूल व्यवहार किए जाने की शिकायत प्राप्त होती है, तो संगठन मामले की उचित जांच करेगा और आवश्यकतानुसार **सुधारात्मक एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई** करेगा।

21. हितों का टकराव (Conflict of Interest)

यौन उत्पीड़न से संबंधित किसी शिकायत को **प्राप्त करने, जांच करने, उसका मूल्यांकन करने या उस पर निर्णय लेने** की प्रक्रिया में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के लिए निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता बनाए रखना आवश्यक होगा।

यदि शिकायत प्रक्रिया में शामिल किसी व्यक्ति का शिकायतकर्ता, आरोपित व्यक्ति, गवाह या मामले से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति के साथ **वास्तविक (Actual), संभावित (Potential) या**

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

प्रतीत होने वाला (Perceived) हितों का टकराव है, तो उसे इसकी जानकारी संबंधित प्राधिकारी/समिति को तुरंत देनी होगी।

हितों का टकराव निम्नलिखित परिस्थितियों में हो सकता है, जैसे:

- शिकायतकर्ता या आरोपित व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध होना;
- किसी पक्ष के साथ निकट व्यक्तिगत, सामाजिक या व्यावसायिक संबंध होना;
- मामले के परिणाम से किसी प्रकार का व्यक्तिगत या पेशेवर लाभ या नुकसान जुड़ा होना;
- किसी पक्ष के प्रति पहले से पक्षपात या गंभीर विवाद होना;
- ऐसी कोई अन्य परिस्थिति जिससे व्यक्ति की निष्पक्षता या स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है।

ऐसे मामले में, संबंधित व्यक्ति को शिकायत की **जांच, मूल्यांकन या निर्णय लेने की प्रक्रिया से अलग** किया जाएगा, जहाँ ऐसा करना आवश्यक हो।

संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि शिकायतों की जांच एवं निर्णय प्रक्रिया **निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शी एवं बिना किसी पक्षपात** के संचालित हो।

हितों के टकराव को छिपाना या जानबूझकर उसका खुलासा न करना संगठन की नीति का उल्लंघन माना जा सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उचित कार्रवाई की जा सकती है।

22. कानूनी अनुपालन (Legal Compliance)

यह नीति भारत में लागू सभी संबंधित **कानूनों, नियमों, विनियमों एवं वैधानिक प्रावधानों** के अनुरूप लागू एवं संचालित की जाएगी।

जहाँ लागू हो, संगठन **कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 [Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013]** तथा इसके अंतर्गत बनाए गए संबंधित नियमों एवं प्रावधानों का पालन करेगा।

संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए निर्धारित आंतरिक प्रक्रिया **लागू कानूनों के अनुरूप** हो और शिकायतकर्ता के वैधानिक अधिकारों को प्रभावित न करे।

इस नीति में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो किसी व्यक्ति को, कानून द्वारा अनुमति या आवश्यकता होने पर, निम्नलिखित सक्षम प्राधिकारियों से संपर्क करने से रोकता हो:

- **पुलिस या कानून प्रवर्तन एजेंसी (Law Enforcement Agency);**
- **संबंधित सरकारी विभाग या प्राधिकारी;**
- **न्यायालय (Court);**
- **अन्य सक्षम वैधानिक या कानूनी प्राधिकारी।**

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.) 303303
मान्यता प्राप्त
रजि. नं.- 45/32-03

जहाँ किसी मामले में कानून के अनुसार **अनिवार्य रिपोर्टिंग (Mandatory Reporting)** आवश्यक हो, संगठन संबंधित कानूनी प्रावधानों का पालन करेगा।

संगठन समय-समय पर लागू कानूनों एवं नियमों में होने वाले परिवर्तनों की समीक्षा करेगा और आवश्यकता के अनुसार इस नीति में **संशोधन एवं अद्यतन** करेगा, ताकि नीति वर्तमान कानूनी आवश्यकताओं के अनुरूप बनी रहे।

23. नीति की समीक्षा एवं संशोधन (Policy Review and Amendment)

इस **यौन उत्पीड़न की रोकथाम नीति** की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नीति संगठन की वर्तमान आवश्यकताओं, कार्यप्रणाली तथा लागू कानूनों एवं नियमों के अनुरूप प्रभावी बनी रहे।

नीति की समीक्षा निम्नलिखित परिस्थितियों में की जाएगी:

- नियमित अंतराल पर, संगठन द्वारा निर्धारित समीक्षा अवधि के अनुसार;
- लागू कानूनों, नियमों या वैधानिक प्रावधानों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होने पर;
- संगठन की संरचना, कार्यप्रणाली या जिम्मेदारियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने पर;
- संगठन के कार्यक्रमों, कार्यक्षेत्र या संचालन में महत्वपूर्ण बदलाव होने पर;
- नीति के क्रियान्वयन के दौरान किसी कमी या सुधार की आवश्यकता की पहचान होने पर;
- यौन उत्पीड़न की रोकथाम एवं शिकायत निवारण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता होने पर।

नीति में किसी भी प्रकार का **संशोधन, परिवर्तन या अद्यतन** संगठन के **शासी निकाय (Governing Body) / कार्यकारिणी समिति (Executive Committee)** की स्वीकृति के बाद ही लागू किया जाएगा।

प्रत्येक संशोधित नीति में आवश्यकतानुसार **संशोधन की तिथि, नीति संस्करण (Version Number) एवं अनुमोदन का विवरण** दर्ज किया जाएगा।

संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि संशोधित नीति की जानकारी सभी संबंधित कर्मचारियों एवं संगठन से जुड़े व्यक्तियों को समय पर उपलब्ध कराई जाए।

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.) 303303 मान्यता प्राप्त रजि. न.- 45/32-03

24. अनुमोदन (Approval)

यह **यौन उत्पीड़न की रोकथाम नीति (Sexual Harassment Prevention Policy) DVMS एवं सबका घर आश्रम** के **शासी निकाय (Governing Body) / कार्यकारिणी समिति (Executive Committee)** द्वारा समीक्षा एवं अनुमोदन के पश्चात संगठन में लागू की गई है।

अनुमोदित द्वारा (Approved By): Director with the concurrence of all Board Members.

पद (Designation): Director

हस्ताक्षर (Signature):

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दिनांक (Date): 01.12.2016

संगठन की मुहर (Organization Seal):

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.) 303303
मान्यता प्राप्त
रजि. न.-
45/32-03